[illegible] धारा 4 उपधारा 1 महोदय निम्नलिखित [illegible] एक्सीजिक्यूटिव अधिकारी को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त रहें :—

| क्र० सं० | अधिकारी का नाम | | जिला |
|---|---|---|---|
| १ | श्री [illegible] | ... | [illegible] |
| २ | ,, [illegible] | ... | [illegible] |
| ३ | ,, [illegible] | ... | [illegible] |
| ४ | ,, [illegible] | ... | [illegible] |

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६९१/१—प—[illegible]—सं० एक्वीजिशन एक्ट, १८९४ (एक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री [illegible] सागर, जिलाधीश, जिला कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

## विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मंतव्य है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करके और अधिसूचना जारी करने के द्वारा घोषित करेंगे, कि वन शीघ्र में राज्य सरकार के अधिकारों के अधीन होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त अधिनियम के अधिनियमांक [illegible] द्वारा तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८०—ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] उक्त ऐक्ट के सेक्शन ४ के निदेश-पत्रों संलग्न सूचियों में निर्दिष्ट भूमि पर लागू घोषित करते हैं।

## अनुसूची

| क्रमांक | भूमि का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये निदेश-पत्र प्रकाशित किया गया है | जिला | रकबा की सीमा में | | | सीमा का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मील | फर्लांग | गज | |
| १ | [illegible] मील [illegible]/० से [illegible] मील [illegible]/० तक | कानपुर | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| २ | कानपुर—[illegible] [illegible], मील [illegible]/० से [illegible] मील [illegible]/० तक | ,, | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ३ | कानपुर—[illegible] [illegible], मील [illegible]/० से [illegible] मील [illegible]/० तक | ,, | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ४ | [illegible] रोड, मील [illegible]/० से मील [illegible]/० तक | ,, | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ५ | लखनऊ—कानपुर सड़क, मील /० से [illegible] मील [illegible]/० कोस तक | लखनऊ और [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ६ | लखनऊ—[illegible] सड़क मील /० से [illegible] मील [illegible]/० तक | लखनऊ, [illegible], [illegible], बरेली | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ७ | लखनऊ—[illegible] सड़क, मील /० से [illegible] [illegible]/० तक | लखनऊ, रायबरेली, [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |
| ८ | लखनऊ—[illegible] सड़क, मील /० से [illegible] मील [illegible]/— २२८ कोस तक | लखनऊ, रायबरेली, [illegible] और [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ,, |

[illegible]

प्रतिहस्ताक्षरित

[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या